

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (कैडर रिव्यू) अलेसे-I/ 9829-30 दिनांक :- 30.10.2015

कैडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या 25 / 2015-16

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा वरिष्ठ शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प. 1(2)कृषि-1/2012 जयपुर दिनांक 03.09.2015 तथा परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जयपुर के पत्र क्रमांक प.2()/आर.ए.सी.पी/पदसृजन/2015-16/2450-52 दिनांक 01.10.2015 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को समाप्त किया जाता है:-

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ. ग्रेड-I	स.ले.अ. ग्रेड-II	क.ले.
1	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, अलवर, I(3000226)	01	—	01
2	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, बीकानेर I(3000227)	01	—	01
3	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, बून्दी I(3000228)	01	—	01
4	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, चित्तौड़गढ़ I(3000229)	01	—	01
5	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जोधपुर I(3000232)	01	—	01
6	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, नागौर I(3000233)	01	—	01
7	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, श्रीगंगानगर I(3000235)	01	—	01
8	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, सिरोंही I(3000234)	01	—	01
9	उपनिदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, उदयपुर I(3000236)	01	—	01
कुल योग		09	—	09

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (कैडर रिव्यू) अलेसे-I/ 9829-30 दिनांक :- 30.10.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- वरिष्ठ शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप- I) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना विभाग, अकादमिक भवन दुर्गापुरा जयपुर
- 3- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 4- वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
- 5- पदस्थापन सहायक अलेसे- I/III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।

(कै.एम.मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)